

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:—कार्यालय—आदेश—:

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(20)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 26.02.2020 द्वारा श्रीमती मनीषा चौधरी, व्याख्याता अर्थशास्त्र, राउमावि. किशनगढ़ बास, अलवर का परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये 20 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	05.08.2018 से 06.08.2018 09.01.2019 से 26.01.2019	02 दिन 18 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	20 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.10.2019 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'मैमोरेण्डम' प्रावधानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+20) 80 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/अवकाश/प्रोबेशनरी ट्रेनी/18-19/479 दिनांक:- 11/3/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:—कार्यालय—आदेश—:

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(18)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 26.02.2020 द्वारा श्री मोहन लाल मीना, व्याख्याता भूगोल, राउमावि. मनोहरथाना, झालावाड़ का परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये 18 दिवस के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	03.08.2018	01 दिन
	06.08.2018 से 12.08.2018	07 दिन
	15.08.2018 से 24.08.2018	10 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	18 दिवस

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.01.2020 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'मैमोरेण्डम' प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+18) 78 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/अवकाश/प्रोबेशनरी ट्रेनी/18-19/478 दिनांक:- 11/3/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर